मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम, 1980
(क्र. 30 सन् 1981)

अनुक्रमणिका

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा अवधि

अध्याय 2
व्यक्तियों के आने- जाने और उनके कार्यो का निर्बन्धन

2. परिभाषा
3. निर्बन्धन आदेश करने की शक्ति
4. निर्बन्धन आदेशों का प्रतिसंहरण
5. निर्बन्धन आदेश का निलम्बन
6. निर्बन्धन आदेश के लिए आधारों का प्रकटन
7. सलाहकार परिषद का गठन
8. सलाहकार परिषद् को निर्देश
9. सलाहकार परिषद की प्रक्रिया

अध्याय 3
समाज विरोधी तत्वों और पूर्व में सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्तियों का तितर-बितर किया जाना

10. व्यक्तियों के दलों तथा समूहों का तितर-बितर किया जाना
11. अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों का हटाया जाना
12. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराये गये व्यक्तियों का हटाया जाना धा
13. धारा 11, 12 या 13 के अधीन आदेशों के प्रवर्तन की कालावधि
14. धारा 11, 12 या 13 के अधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई की जाएगी
15. अपील
16. कतिपय मामलों में पारित आदेश की अन्तिमता
17. व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर तथा हटाये जाने के पश्चात् उसके द्वारा उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया
18. उस जिले आदि में जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति का निदेश दिया गया था, प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा
19. निर्वासन (एक्सटर्नमेन्ट) की राज्य सरकार की शक्ति
20. धारा 11, 12 13 या 20 के अधीन निदेशों का उल्लंघन के लिये शास्ति

21. जिस क्षेत्र के हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निदेश दिया गया हो उस क्षेत्र में, अनुज्ञा के बिना, प्रवेश करने के लिये या जब अस्थायी रूप से लौटने के लिए अनुज्ञा दी गई हो तो अधिक ठहरने के लिये शास्ति
22. धारा 11, 12,13 या 20 के अधीन जारी किये निदेशों के उल्लंघन के लिये अभियोजनों में उपधारणा
23. उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये गये बंध-पत्र का समपहरण जिसे उस क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी जिस क्षेत्र से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था
24. जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन
25. जानकारी का स्त्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा

अध्याय 4
समाज विरोधी क्रियाकलापों का नियंत्रण

26. संक्षारक पदार्थ आदि के विधि विरुद्ध कब्जे के लिये दण्ड
27. क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्मानों का अधिरोपण

अध्याय 5
लोक क्षेम और व्यवस्था

28. शिविरों, कवायदों (ड्रिल) परेडों आदि का नियंत्रण
29. वर्दियों (यूनिफार्म) का नियंत्रण
30. पथ्या (पाथ वे) सड़क आदि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की शक्ति

अध्याय 6
कतिपय स्थानों तथा क्षेत्रों तक पहुँच

31. संरक्षित स्थान
32. संरक्षित क्षेत्र
33. गार्ड के साथ बल प्रयोग करना या उससे बचकर निकलना
34. कतिपय स्थानों तथा क्षेत्रों के लिए आदेश

अध्याय 7
निवारक निरोध

35. कतिपय व्यक्तियों के निरोध के आदेश करने की शक्ति
36. निरोध आदेशों का निष्पादन
37. निरोध के स्थान तथा निरोध की शर्तों का विनियमन करने की शक्ति

38. निरोध आदेशों का कतिपय आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना
39. फरार व्यक्तियों के सम्बन्ध में शक्तियों
40. निरोध आदेश के आधारों का उस व्यक्ति को प्रकट किया जाना जो उस आदेश से प्रभावित हुआ हो
41. सलाहकार बोर्डों का गठन
42. सलाहकार बोर्डों को निदेश
43. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया
44. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही
45. निरोध की अधिकतम कालावधि
46. निरोध आदेशों का प्रतिसंहरण
47. निरुद्ध व्यक्तियों की अस्थायी निर्मुक्ति

अध्याय 8

अनुपूरक

48. राज्य सरकार की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन
49. नियम
50. अपराध करने के प्रयत्न के लिये शास्ति
51. अपराधियों को संश्रय देने के लिये शास्ति
52. परित्राण
53. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं होगा -
54. किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाने की शक्ति
55. निरसन

मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम 1980
(क्र. 30 सन् 1981)

इस अधिनियम को दिनांक 8 जून, 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई । इस अनुमति का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक 14 जुलाई, 1981 को प्रथम बार किया गया |

राज्य की सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा उनसे संसक्त कतिपय अन्य विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा अवधि - - (1) इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम, 1980 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है ।

(3) यह इसके प्रारम्भ होने के तीन वर्ष का अवसान हो जाने पर प्रभावशील नहीं रहेगा, सिवाय उन बातों के सम्बन्ध में जो कि ऐसे अवसान के पूर्व की गयी हों या करने से छोड़ दी गयी हों ।

अध्याय 2
व्यक्तियों के आने-जाने और उनके कार्यो का निर्बन्धन

2. परिभाषा - - इस अध्याय में "निर्बन्धन आदेश" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन किया गया आदेश ।

3 निर्बन्धन आदेश करने की शक्ति - - (1) यदि राज्य सरकार या किसी जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में यह समाधान हो जाता है कि वह किसी ऐसी रीति में कार्य कर रहा है या उसके ऐसी रीति में कार्य करने की सम्भावना है जिससे राज्य की सुरक्षा पर या लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह कि इसे इस प्रकार कार्य करने से रोकने के लिए जन साधारण के हित में यह आवश्यक है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाय, तो यथास्थिति राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश कर सकेगा जिसमें - -

(क) यह निदेशिन किया जा सकेगा कि वह, उस स्थिति के सिवाय जहाँ तक कि उसे उस

आदेश के उपबन्धों द्वारा या ऐसे प्राधिकारी या व्यक्तियों द्वारा, जो कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किये जाये, अनुज्ञात किया जाय, मध्यप्रदेश के किसी ऐसे क्षेत्र या स्थान में नहीं रहेगा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ख) उससे यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह मध्यप्रदेश के ऐसे स्थान में या ऐसे क्षेत्र के भीतर में विनिर्दिष्ट किया जाय और यदि वह पहले से ही वहीँ न हो, तो उस स्थान या क्षेत्र में ऐसे समय के भीतर चला जाय जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ग) उससे यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसी रीति में, ऐसे समयों पर तथा ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अपने आने-जाने की सूचना दे या उसके समक्ष उपस्थित हो या अपने आने-जाने की सूचना भी दे और उपस्थित भी हो ;

(घ) ऐसे व्यक्तियों से, जो कि उस आदेश में उल्लिखित किये जाये, सहयुक्त रहने या उनसे सम्पर्क रखने के सम्बन्ध में उन पर ऐसे निर्बन्धन अधिरोपित किये जा सकेंगे जैसे कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें;

(ङ) किसी भी ऐसी वस्तु यी वस्तुओं का, जो कि उस आदेश में, विनिर्दिष्ट की जायें, उसके द्वारा कब्जे में रखा जाना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित किया जा सकेगा ।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो राज्य का मामूली तौर से निवासी हो, राज्य से अपवर्जित किये जाने या हटाये जाने का निदेश देते हुए कोई निर्बन्धन आदेश किया जायेगा और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये किसी ऐसे आदेश में, किसी व्यक्ति को उस जिले से, जिसमें वह पहले से ही निवास कर रहा है, अपवर्जित जाने या हटाये जाने का निदेश नहीं दिया जाएगा ।

(3) जहाँ किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आदेश दिया जाता वहाँ राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के लिए उस कालावधि के दौरान जिसमें कि निर्बधन आदेश प्रवृत्त रहता बात सुविधा का प्रबन्ध करेगी तथा उसे ऐसे भरण-पोषण भत्ते का संदाय करेगी जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु इसमें की कोई बात उस स्थिति में लागू नहीं होगी जबकि ऐसा आदेश किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे नगर या स्थान में, जहाँ कि वह मामूली तौर से निवास कर रहा है, निवास करे या बना रहे ।

(4) (क) जहाँ किसी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई निर्बन्धन आदेश किया जाता है, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट तुरन्त, किन्तु अधिक से अधिक चार दिन के भीतर, आदेश की एक प्रति, आदेश किये जाने के आधारों तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों के साथ जो कि उसकी राय में उस विषय से सम्बन्धित हों, राज्य सरकार को भेजेगा और आदेश खण्ड (ख) तथा (ग) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, पन्द्रह दिन की कालावधि तक प्रवृत्त रहेगा ।

(ख) खण्ड क के अधीन निर्बन्धन आदेश की प्रति प्राप्त होने पर, राज्य सरकार आदेश की पुष्टि कर सकेगी, उसे उपान्तरित कर सकेगी या उसे विखण्डित कर सकेगी ।

(ग) ऐसा कोई निर्बन्धन आदेश, जो

(एक) राज्य सरकार द्वारा किया गया है; या

(दो) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा खण्ड (ख) के अधीन पुष्टिकृत या उपान्तरित किया गया है ।

(5) यदि कोई व्यक्ति किसी निर्बन्धन आदेश के उल्लंघन में किसी क्षेत्र या स्थान में पाया जाता ऐझे किसी आदेश की अपेक्षाओं के अनुसार किसी क्षेत्र या स्थान को छोड़ने में चूक करता है, तो (6) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्र या से हटाया जा सकेगा ।

(6) यदि कोई व्यक्ति किसी निर्बन्धन आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो, सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

4. निर्बन्धन आदेशों का प्रतिसंहरण - - (1) निर्बन्धन आदेश किसी भी समय, राज्य शासन द्वारा प्रतिसंहत या उपान्तीरत किया जा सकेगा ।

(2) किसी निर्बन्धन आदेश का प्रतिसंहरण या अवसान, उसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे में, जिसमें कि ऐसे प्रतिसंहरण या अवसान की तारीख के पश्चात् ऐसे नये तथ्य उद्भूत हो गये हों, । जिनके आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा आदेश किया जाना चाहिए, नया निर्बन्धन आदेश किये जाने को वर्जित नहीं करेगा:

परन्तु कोई भी ऐसा नया आदेश केवल राज्य सरकार द्वारा ही किया जायेगा ।

5. निर्बन्धन आदेश का निलम्बन - - (1) राज्य सरकार, किसी निर्बन्धन आदेश का प्रवर्तन किसी शर्त के या ऐसी शर्तों पर, जैसी कि वह उचित समझे और जो उस व्यक्ति द्वारा विरुद्ध निर्बन्धन आदेश किया गया है, प्रतिग्रहीत की जायें, निलम्बित कर सकेगी और वह किसी भी समय निलम्बन आदेश को रद्द कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई शर्तों में, उन शर्तों के, जिन पर आदेश निलंबित किया गया है, सम्यक् अनुपालन के लिये प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत रहित बन्धपत्र निष्पादित किया जाने की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(3) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में इस धारा के अधीन निर्बन्धन आदेश निलंबित कर दिया जाता है, ऐसे समय तथा स्थान पर और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा जैसा कि यथास्थिति निलम्बन आदेश में या ऐसे निलम्बन को रद्द करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट की गई रीति में उपस्थित होने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करेगा, तो वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(5) यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके सम्बन्ध में निर्बन्धन आदेश निलम्बित कर दिया जाता है, इस धारा के अधीन या उसके द्वारा निष्पादित किये गये बंधपत्र में उस पर अधिरोपित की गई शर्तों में से किसी शर्त की पूर्ति करने में असफल रहेगा तो जिला मजिस्ट्रेट बंधपत्र को राज्य सरकार के पक्ष में समपहत घोषित कर सकेगा और उसके द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति उसकी शास्ति का संदाय करने का दायी होगा ।

6. निर्बन्धन आदेश के लिए आधारो का प्रकटन - - (1) निर्बन्धन आदेश किया जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, किन्तु अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर आदेश करने वाला प्राधिकारी उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, वे आधार, जिन पर वह आदेश किया गया है, उस सीमा तक संसूचित करेगा जहाँ तक कि ऐसी संसूचना उन तथ्यों को प्रकट किये बिना दी जा सकती हो । प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध मानता है, और साथ ही ऐसी अन्य विशिष्टियाँ संसूचित करेगा जो कि उसकी राय में उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन करने के लिए उस व्यक्ति को समर्थ
बनाने के लिये पर्याप्त हैं, और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने के उसके अधिकार के सम्बन्ध में जानकारी देगा, तथा उसे ऐसा करने के लिए शीघ्रतम अवसर देगा ।

(2) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निर्बन्धन आदेश किया गया है, उस तारीख से, जिसकी कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्बन्धन आदेश के आधार तथा अन्य विशिष्टियाँ उसको संसूचित की जाती हैं, पंद्रह दिन के भीतर, उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगा ।

7. सलाहकार परिषद् का गठन - - (1) राज्य सरकार इस अध्याय के प्रयोजन के लिए एक सलाहकार परिषद् का गठन करेगी ।

(2) सलाहकार परिषद् में ऐसे तीन व्यक्ति होगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, या रह चुके हैं या उस रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अहित हैं और ऐसे व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेगे: परन्तु सलाहकार परिषद् का कम से कम एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है ।

(3) राज्य सरकार सलाहकार परिषद् के सदस्यों में से एक ऐसे सदस्य को, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है, सलाहकार परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।

8. सलाहकार परिषद को निर्देश - - धारा 6 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन के प्राप्त होने के पश्चात या उस दशा में जबकि कोई अभ्यावेदन प्राप्त न हुआ हो, उसके लिये नियत किये गये

समय का अवसान हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार उस व्यक्ति पर, जिसके सम्बन्ध में आदेश किया गया है, आदेश की तामील हो जाने के तीस दिन के भीतर, वे आधार, जिन पर कि आदेश किया गया है, तथा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, किसी भी ऐसी अन्य सुसंगत सामग्री सहित, जैसी कि राज्य सरकार आवश्यक सामझ धारा 7 के अधीन गठित सलाहकार परिषद् के समक्ष रखेगी ।

9. सलाहकार परिषद की प्रक्रिया - - (1) सलाहकार परिषद् अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और राज्य सरकार से या सम्बन्धित व्यक्ति से ऐसी रीति और जानकारी जिसे वह आवश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा करना आवश्यक समझती हो, या यदि सम्बन्धित व्यक्ति यह चाहता हो कि उंसकी सुनवाई की जाय, तो स्वयं उसे सुनने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट निर्बन्धन आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार को भेजेगी ।

(2) सलाहकार परिषद् की रिपोर्ट के एक पृथक् भाग में सलाहकार परिषद् की इस सम्बन्ध में राय विनिर्दिष्ट को जायेगी कि क्या सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध निर्वचन आदेश किये जाने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं अथवा क्या निर्बन्धन आदेश को उपांतरित किया जाना आवश्यक है ।

(3) जब सलाहकार परिषद् का गठन करने वाले सदस्यों के बीच मतभेद हो, तो ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को प्ररिषद् की राय समझा जायेगा ।

(4) राज्य सरकार तथा सलाहकार परिषद् के बीच पत्र-व्यवहार में अन्तर्विष्ट समस्त विशिष्टियाँ तथा सलाहकार परिषद् द्वारा की गई रिपोर्ट, रिपोर्ट के उस भाग के सिवाय जिसमें कि सलाहकार परिषद की राय विनिर्दिष्ट है, गोपनीय होंगी तथा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय किसी लोक सेवक से यह अपेक्षा करने का हकदार नहीं होगा कि वह पूर्वोक्त दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज उसके समक्ष पेश करे ।

(5) इस धारा में की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निर्बन्धन आदेश किया गया है, सलाहकार परिषद् को किये गये किसी निर्देश से सम्बन्धित किसी मामले में किसी विधि व्यवसायी द्वारा उपसंजात होने के लिए हकदार नहीं बनायेगी ।

अध्याय 3
समाज विरोधी तत्वों और पूर्व में सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्तियों का तितर-बितर किया जाना

10. व्यक्तियों के दलों तथा समूहों का तितर-बितर किया जाना - - जब कभी जिला मजिस्ट्रेट, को यह प्रतीत हो कि जिले में व्यक्तियों के किसी दल या समूह के आने-जाने या पड़ाव से खतरा या संता संत्रास कारित हो रहा है या ऐसा आना-जाना या पड़ाव खतरा या संत्रास कारित करने के लिए प्रकल्पित है या ऐसा युक्तियुक्त संदेह है कि ऐसे दल या समूह या उसके सदस्यों द्वारा विधि विरुद्ध

परिकल्पना की जा रही है, तो जिला मजिस्ट्रेट, ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसे दल या समूह के नेता या मुखिया प्रतीत होते हों, सम्बोधित किये गये तथा डोंडी पिटवाकर या अन्यथा जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे, प्रकाशित किये गये आदेश द्वारा, ऐसे दल या समूह के सदस्यों को निर्देश दे सकेगा कि, -

(क) वे ऐसी रीति में आचरण करें जो हिंसा तथा संत्रास का निवारण करने के लिए आवश्यक हो, या

(ख) वे तितर-बितर हो जायें तथा उनमें से प्रत्येक सदस्य जिले या उसके किसी भाग या क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके उनके किसी भाग के बाहर ऐसे समय के भीतर चला जाय जो जिला मजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट करें, और यथास्थिति उक्त जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा ऐसे समीपस्थ जिलों या उनके भाग में प्रवेश न करे या उस स्थान को न लौटे जहाँ से चले जाने के लिए उनमें से प्रत्येक को निदेश दिया गया था ।

11. अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों का हटाया जाना - - जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि - -

(क) किसी व्यक्ति के आने-जाने या कार्यों से मानव शरीर या सम्पत्ति को संत्रास, खतरा या अपहानिकारित हो रही है, या ऐसा आना-जाना या कार्य ऐसा संत्रास, खतरा या अपहानिकारित करने के लिए प्रकल्पित है; या

(ख) यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के, जिसमें बल या हिंसा अन्तर्वलित है, या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय 12, 16 या 17 या उसकी धारा 506 या 509 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के करने में या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण में संलग्न होने को आमादा है और जब जिला मजिस्ट्रेट की राय में, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साक्षीगण अपने शरीर या समपत्ति की सुरक्षा के बारे में उसकी ओर से आशंका होने के कारण, खुले आम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं है; या

(ग) किसी आप्रवासी के लगातार निवास से किसी महामारी का प्रादुर्भाव होना संभाव्य है;

तो जिला मजिस्ट्रेट उस पर सम्यक् रूपेण तामील किये गये लिखित आदेश द्वारा डोडी पिटवाकर या अन्यथा, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे, ऐसे व्यक्ति या आप्रवासी को निदेश दे सकेगा कि - -

(क) वह ऐसी रीति में आचरण करे जो हिंसा या संत्रास या ऐसे रोग के प्रादुर्भाव या प्रसार का निवारण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो; या

(ख) वह जिले या उसके किसी भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके/उनके किसी भाग के बाहर ऐसे मार्ग से तथा ऐसे समय के भीतर जैसा कि जिला

मजिस्ट्रेट विनिर्दिष्ट करे, चला जाय और यथास्थिति उक्त जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा ऐसे समीपस्थ जिलों या उनके भाग में, जहाँ से कि हट जाने का उसे निर्देश दिया गया था, प्रवेश न करें या न लौटें ।

12. कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्ध ठहराये गये व्यक्तियों का हटाया जाना - - यदि कोई व्यक्ति,

(क) (एक) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय 12, 16 या 17 के या उसकी धारा 506 या 509 के अधीन किसी अपराध का; या

(दो) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन किसी अपराध का; या

(ख) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (1956 सं. 104) के अधीन किसी अपराध का दो बार; या

(ग) मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुए रूप में सार्वजनिक द्युत अधिनियम, 1867 (1867 का सं. 3) की धारा 3 या 4 के अधीन किसी अपराध का तीन वर्ष की कालावधि के भीतर तीन बार;

सिद्धदोष ठहराया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में सम्भावना है कि वह उस अपराध जिसके सम्बन्ध में वह सिद्धदोष ठहराया गया था, समरूप कोई अपराध करने में स्वयं को पुनःसंलग्न करेगा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगा कि वह जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र या उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके/उनके भाग के बाहर, ऐसे मार्ग से तथा ऐसे समय के भीतर, जैसा कि जिला मजिस्ट्रेट आदेश दे, चला जाय और यथास्थिति उस जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा ऐसे समीपस्थ जिलों या उनके भाग में, जहाँ से कि हट जाने का उसे निदेश दिया गया था, प्रवेश न करे या न लौटे ।

स्पष्टीकरण - - इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "उस अपराध के, जिसके लिए जो व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया गया था, समरूप अपराध" से अभिप्रेत है - -

(एक) खण्ड (क) में वर्णित अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्ति के मामले में, उस खण्ड में वर्णित भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्यायों या धाराओं में से किसी के भी अन्तर्गत आने वाले अपराध या उस खण्ड के उपखण्ड (2) में वर्णित अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाला अपराध; और

(दो) खण्ड (ख) तथा (ग) में वर्णित अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्ति के मामले में उक्त खण्डों में क्रमश: वर्णित अधिनियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले अपराध ।

13. धारा 11, 12 या 13 के अधीन आदेशों के प्रवर्तन की कालावधि - - यथास्थिति किसी जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके/उनके किसी भागों में प्रवेश न करने के सम्बन्ध में धारा 11, 12 या 13 के अधीन दिया गया निर्देश ऐसी कालावधि के लिए होगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाय और किसी भी दशा में उस तारीख से, जिसको कि वह किया था, एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए नहीं होगा ।

14. धारा 11, 12 या 13 के अधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई की जाए- - (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 11, 12 या 13 के अधीन कोई आदेश पारित किया जाने के पूर्व, जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध तात्विक अभिकथनों के सामान्य स्वरूप की लिखित जानकारी देगा और उसे उनके बारे में स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति उसके द्वारा पेश किये गये किसी साक्षी की परीक्षा के लिए आवेदन करे तो जिला मजिस्ट्रेट, जब तक कि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, उसकी यह राय न हो कि ऐसा आवेदन तंग करने या विलम्ब करने के प्रयोजन से दिया गया है, ऐसे आवेदन को मंजूर करेगा और ऐसे साक्षियों की परीक्षा करेगा ।

(3) ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी लिखित कथन मामले के अभिलेख के साथ फाइल किया जाएगा और ऐसा व्यक्ति अपना स्पष्टीकरण देने तथा अपने द्वारा पेश किये गये साक्षियों की परीक्षा के प्रयोजन से किसी विधि व्यवसायी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने का हकदार होगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने वाला जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसके विरुद्ध धारा 11, 12 या 13 के अधीन किसी आदेश का किया जाना प्रस्तावित है, हाजिरी सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष उपसंजात हो और जांच के दौरान ऐसी हाजिरी के लिए प्रतिभू सहित या रहित प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित करे ।

(5) यदि वह व्यक्ति अपेक्षित किये गये अनुसार प्रतिभूति बंधपत्र निष्पादित न करे या जांच के दौरान जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह जांच में एकपक्षीय कार्यवाही करे और तदुपरि ऐसा आदेश जो उस व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया जाना प्रस्तावित किया गया था, पारित किया जा सकेगा ।

15. अपील - - (1) धारा 11, 12 या 13 के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से तीन दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा ।

(2) इस धारा के अधीन अपील उस आदेश के, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, सम्बन्ध में आपत्ति के आधार पर संक्षेप में देते हुए ज्ञापन के रूप में की जाएगी और उसके साथ उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जायेगी ।

(3) ऐसी अपील के प्राप्त होने पर, राज्य सरकार, अपीलार्थी को या तो व्यक्तिश: या किसी विधि व्यवसायी के द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने तथा ऐसी और जाच यदि कोई हो, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उस आदेश की जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी या उसे विखण्डित कर सकेगी

परन्तु, वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है, जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, अपील का निपटारा होने तक प्रवर्तन में रहेगा ।

(4) इस धारा के अधीन अपील के लिये उपबन्धित तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गयी है, प्रमाणित प्रति दिये जाने के लिये लिया गया छोड दिया जायेगा ।

16 कतिपय मामलों में पारित आदेश की अंतिमता : धारा 11, 12 या 13 के अधीन या राज्य सरकार द्वारा धारा 16 के अधीन पारित किया गया कोई आदेश किसी न्यायालय में निम्नलिखित आधारों पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं -

(एक) यह कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 15 की उपधारा (1) में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था या

(दो) यह कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह आदेश आधारित कर सकता था या

(तीन) यह कि जिला मजिस्ट्रटे की यह राय नहीं थी कि साक्षीगण उस व्यक्ति के विरूद्ध जिसके के संबंध में धारा 12 के अधीन आदेश पारित किया गया था, खुलेआम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद नहीं थे ।

17 व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर तथा हटाये जाने के पश्चात् उसके द्वारा उसमें प्रवेश करने पर प्रक्रिया - - यदि कोई व्यक्ति,जिसे किसी जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके/उनके किसी भाग से हट जाने का निदेश धारा 11, 12 या 13 के अधीन जारी किया जा चुका हो - -

(एक) निदेशित किये गये अनुसार नहीं हट जाता है; या

(दो) इस प्रकार हट जाने पर, धारा 19 में यथा उपबन्धित लिखित अनुज्ञा के सिवाय, यथामस्थिति जिले या उसके भाग या उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों या उसके/उनके किसी भाग में, आदेश में कालावधि के भीतर प्रवेश करता है;

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उसे ऐसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जिसे जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट करे, हटवा सकेगा ।

18. उस जिले आदि में जिससे हट जाने के लिए किसी व्यक्ति का निदेश दिया गया था, प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा - - (1) राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को, जिस, सम्बन्ध में धारा 11, 12 या 13 के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, उस जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिले या जिलों या उसके/उनके भाग में, जहाँ से कि हट जाने के लिए उसे निदश दिया गया था ऐसी अस्थायी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रवेश करने या लौटने, के लिए लिखित अनुज्ञा दे सकेगा जैसी की ऐसी अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट की जायें ।

(2) पूर्वोक्त अनुज्ञा किसी भी समय यथास्थिति राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिसंहत की जा सकेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को यथास्थिति उस जिले या उसके ऐसे भाग या खै क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिले या जिलों या उसके/उनके भाग में, जिससे हट जाने के लिए उसे निदेश दिया गया था, प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा देते समय उक्त अनुज्ञा देने वाला प्राधिकारी उससे यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस पर अधिरोपित की गई शर्तों के सम्यकू अनुपालन के लिए प्रतिभूत सहित या रहित बंध-पत्र निष्पादित करे ।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञा के अनुसरण में यथास्थिति उस जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिले या जिलों या उसके/उनके भाग में; जहां से हट जाने के लिये उसे निदेश दिया गया था, प्रवेश करता है या लौटता है, उक्त अनुज्ञा में अधिरोपित की गई शर्तो का अनुपालन करेगा, और उस अस्थायी कालावधि की, जिसके लिए कि प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा उसे दी गई थी, समाप्ति पर या ऐसी अनुज्ञा का पूर्वतर प्रतिसंहरण हो जाने पर यथास्थिति ऐसे जिले या उसके भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिला या जिलों या उसके / उनके भाग के बाहर चला जायेगा, और धारा 11, 12 या 13 के अधीन दिये गये मूल आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि की अपर्यवेसित अवशिष्ट अवधि में, नवीन अनुज्ञा के बिना, उसमें प्रवेश नहीं करेगा या वहाँ नहीं लौटेगा ।

(5) यदि ऐसा व्यक्ति अधिरोपित की गई शर्तो में से किसी शर्त का अनुपालन नहीं करता है या तदनुसार हटता नहीं है या इस प्रकार हट जाने के पश्चात् उस जिले या उसके किसी भाग या ऐसे क्षेत्र तथा किसी समीपस्थ जिले या जिलों या उसके/उनके भाग में, नवीन अनुज्ञा के बिना प्रवेश करता है या लौटता है, तो किसी अन्य कार्यवाही पर, जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती हो प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करवा सकेगा और पुलिस अभिरक्षा में उसे ऐसे क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान को, जिसे कि जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट करे, हटवा सकेगा ।

19 निर्वासन (एक्सटर्नमेन्ट) की राज्य सरकार की शक्ति - - (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई अधिकारी धारा 11, 12 या 13 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में प्रयोक्तव्य शक्तियों का प्रयोग वैसी ही परिस्थितियों में तथा वैसी ही रीति में इस उपांतरण के साथ कर सकेगा कि राज्य सरकार या विशेष रूप से सशक्त किये गये अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथास्थिति ऐसे दल या समूह के सदस्यों या व्यक्तियों या अप्रवासियों या सिद्धदोष ठहराये गये व्यक्तियो को किसी जिले या जिलों या उसके / उनके भाग से, चाहे वे उसके/ उनके समीपस्थ हो या न हों, हट जाने के लिए और किसी जिले या जिलों या उसके/उनके भाग में, चाहे वे उसके/उनके समीपस्थ हो या न हों, प्रवेश न करने या न लौटने के लिए निदेश दें ।

(2) धारा 14, 15, 17, 18 तथा 19 के उपबन्ध और धारा 16 के उपबन्ध, उस दशा में जबकि आदेश राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किये गये अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया हो, इस धारा के अधीन किन्हीं शक्तियों के प्रयोग को यथावश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे धारा 11, 12 या 13 के अधीन किन्हीं शक्तियों के प्रयोग को लागू होते हैं ।

(3) जहाँ आदेश राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया हो वहाँ राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या व्यथित, व्यक्ति के आवेदन पर, स्वयं के द्वारा पारित किये गये किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु किसी भी आदेश में तब तक फेरफार नहीं किया जायेगा या उसे तब तक उल्टा नहीं जायगा जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति को आदेश के समर्थन में उपसंजात होने तथा सुने जाने के लिए सूचना न दी गई हो ।

20. धारा 11, 12, 13 या 20 के अधीन निदेशों का उल्लंधन के लिए शास्ति - - यदि कोई व्यक्ति धारा 11, 12, 13 या 20 के अधीन जारी किये गये किसी निदेश का विरोध करेगा या उसकी अवज्ञा करेगा या उसका अनुवर्तन नहीं करेगा या किसी ऐसे निदेश के विरोध या उसकी अवज्ञा का दुष्प्रेरण करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु जो, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के सिवाय चार मास से कम नहीं होगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

21. जिस क्षेत्र के हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निदेश दिया गया हो उस क्षेत्र में, अनुज्ञा के बिना, प्रवेश करने के लिये या जब अस्थायी रूप से लौटने के लिए अनुज्ञा दी गई हो तो अधिक ठहरने के लिये शास्ति - - धारा 18 में उपबन्धित की गई परिस्थितियों तथा रीति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हटाने की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई व्यक्ति, जो - -

(क) धारा 11, 12, 13 या 20 के अधीन उसको जारी किये गये निदेश के उल्लंघन में उस जिले या उसके भाग, या ऐसे क्षेत्र तथा किसी अन्य जिले या जिलों या उसके उनके भाग में, जिससे हट जाने के लिये उसे निदेश दिया गया था, अनुज्ञा के बिना प्रवेश करेगा या लौटेगा;

(ख) धारा 19 के अधीन मजूर की गई अनुज्ञा से, किसी ऐसे पूर्वोक्त क्षेत्र या जिले या उसके भाग में प्रवेश करेगा या लौटेगा किन्तु उसके उपबन्धों के प्रतिकूल उस अस्थायी कालावधि की, जिसके लिये कि उसे प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी, समाप्ति पर ऐसे क्षेत्र से बाहर नहीं हटेगा या ऐसी अनुज्ञा का पूर्वतर प्रतिसंहरण हो जाने पर या अस्थायी कालावधि की समाप्ति पर या अनुज्ञा का प्रतिसंहरण हो जाने पर हट जाने के पश्चात्, नवीन अनुज्ञा के बिना तत्पश्चात् प्रवेश करेगा या लौटेगा:

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी किन्तु जो, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणो के सिवाय, छह मास से कम की नहीं होगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

22. धारा 11, 12, 13 या 20 के अधीन जारी किये निदेशों कें उल्लंधन के लिये अभियोजनों में उपधारणा - - तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 11, 12, 13 या 20 के अधीन जारी किये गये निदेश के उल्लंघन सम्बन्धी किसी अपराध के अभियोजन में, आदेश की अधि-प्रमाणित प्रति पेश किये जाने पर, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाये तथा जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह उपधारणा की जायेगी कि - -

(क) आदेश, यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या धारा 25 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त किये गये अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किये गये किसी अधिकारी द्वारा किया गया था;

(ख) यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट या धारा 25 के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशक्त किये गए अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किये गये किसी अधिकारी का यह समाधान हो गया था कि वे आधार जिन पर या वह प्रयोजन जिसके लिए वह किया गया था, विद्यमान था तथा उस आदेश का किया जाना आवश्यक था; और

(ग) आदेश अन्यथा विधिमान्य था और इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप था ।

23. उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये गये बंध-पत्र का समपहरण जिसे उस क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने की अनुज्ञा दी गई थी जिस क्षेत्र से हट जाने का उसे निदेश दिया गया था - - यदि धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात कोई व्यक्ति, उक्त उपधारा के अधीन या उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन उसके द्वारा निष्पादित किये गये बन्ध-पत्र में अधिरोपित की गई किसी शर्त का अनुपात नहीं करता है, तो उसके बन्ध-पत्र का समपहरण कर लिया जाएगा और उसके द्वारा आबद्ध कोई भी व्यक्ति तत्सम्बन्धी शास्ति का भुगतान करेगा या न्यायालय के समाधान योग्य कारण बतलाएगा कि ऐसी शास्ति का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए ।

24. जिला मजिस्ट्रेटों की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन - - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का स. 2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त किसी शक्ति का या उस पर अधिरोपित किये गये किसी कर्त्तव्य का प्रयोग या पालन ऐसे अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, किया जाएगा ।

25 जानकारी का स्त्रोत प्रकट नहीं किया जाएगा - - इस अधिनियम की किसी भी बात के सम्बन्ध में यह नहीं समझा जायेगा कि वह यथास्थिति राज्य सरकार या किसी ऐसे अधिकारी जिसे उसके द्वारा धारा 20 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, या जिला मजिस्ट्रेट या धारा 25

के अधीन सशक्त किये गये अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा करती है कि वह उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम की धारा 11, 12, 13 या 20 के अधीन आदेश किया गया है या किसी न्यायालय को अपनी जानकारी का स्त्रोत या कोई तथ्य प्रकट करे जिसकी कि संसूचना से, यथाव्यक्ति राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी जिसे धारा 20 के अधीन सशक्त किया गया है, या जिला मजिस्ट्रेट या धारा 25 के अधीन सशक्त किये गये अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट की राय में, किसी इतिला देने वाले की पहचान या नाम प्रकट होता हो ।

अध्याय 4
समाज विरोधी क्रियाकलापों का नियंत्रण

26. संक्षारक पदार्थ आटि के विधि विरुद्ध कब्जे के लिये दण्ड - - कोई भी व्यक्ति, जो कोई संक्षारक (कारोसिव) पदार्थ या द्रव ऐसी परिस्थितियों में अपने शरीर पर रख कर ले जायेगा या जानते हुए उसे अपने कब्जे या नियंत्रण में रखेगा जिनसे ऐसा युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता हो कि वह किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिये उसे अपने शरीर पर रख कर नहीं ले जा रहा है या उसे विधिपूर्ण उद्देश्य से अपने कब्जे या नियंत्रण में नहीं रखे हुए है, उस दशा में जबकि यह दर्शित न कर सकता हो कि वह उसे किसी विधिपूर्ण उद्देश्य से अपने शरीर पर रख कर ले जा रहा था या अपने कब्जे या नियंत्रण में रखे हुए था कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

27. क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्मानों का अधिरोपण - - (1) (क) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी क्षेत्र के निवासी या निवासियों का कोई वर्ग या उपवर्ग ऐसे अपराधों के किये जाने से सम्बन्धित है या ऐसे अपराधों के किये जाने को दुष्प्रेरित कर रहा है जिनकी परिणति मृत्यु या घोर उपहीत या सम्पत्ति की हानि या उसके नुकसान में या उद्दीपन या फिरौती के लिए व्यवहरण में होती है अथवा होने की सम्भावना है, या ऐसे अपराधों के किये जाने से सम्बन्धित व्यक्तियों को संश्रय दे रहा है, या अपराधियों का पता लगाने या पकड़वाने में अपनी शक्ति भर पूरी सहायता नहीं दे रहा है या ऐसे अपराधों के किये जाने से सम्बन्धित, तात्विक साक्ष्य दबा रहा है, तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र के निवासियों या निवासियों के वर्ग या उपवर्ग पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगी ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने वाला आदेश कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका सम्बन्धित क्षेत्र में परिचालन हो और ऐसी अन्य रीति में, जिसे राज्य सरकार उस आदेश को सम्बन्धित क्षेत्र के निवासियों की जानकारी में लाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझे, भी प्रकाशित किया जायेगा ।

(2) राज्य सरकार या कोई ऐसा अधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया गया हो, किसी भी ऐसे निवासी को या ऐसे निवासियों के किसी भी वर्ग 'या उपवर्ग को ऐसे जुर्माने या उसके किसी भाग का भुगतान करने के दायित्व से छूट दे सकेगा ।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, ऐसे जुर्माने को उन निवासियों के बीच प्रभाजित करेगा जो जुर्माने का भुगतान करने के लिए सामूहिक रूप से दायी हो और ऐसा प्रभाजन ऐसे निवासियों के अपने- अपने साधनों के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार किया जायेगा ।

(4) प्रभाजन करते समय, जिला मजिस्ट्रेट वह भाग नियत कर सकेगा जिसका भुगतान किसी

संयुक्त या अविभक्त कुटुम्ब द्वारा किया जाना हो ।

(5) ऐसे जुर्माने का वह भाग, जो किसी निवासी अथवा सयुक्त या अविभक्त कुटुम्ब द्वारा देय होने के रूप में नियत किया गया हो - -

(क) उस रीति में, जो कि किसी न्यायालय द्वारा अधिरोपित किये गये जुर्मानों की वसूली के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का स. 2) द्वारा उपबन्धित की गई है, इस प्रकार वसूल किया जा सकेगा मानो कि ऐसा भाग किसी न्यायालय द्वारा अधिंरोपित किया गया जुर्माना हो:

परन्तु राज्य सरकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 421 की उपधारा

(2) में निर्दिष्ट नियमों के स्थान पर, उस रीति का जिसमें कि उक्त संहिता की उक्त धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन वारण्टों का निष्पादन किया जाना हो, विनियमन करते हुए तथा किन्हीं ऐसे दावों के, जो जुर्माने का भुगतान करने के लिए दायी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी सम्पत्ति, के सम्बन्ध में किये गये हों जो कि वारण्ट के निष्पादन में कुर्क की गई हो, संक्षिप्त अवधारण के लिए नियम इस अधिनियम के अधीन बना सके,

(ख) भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने वाला आदेश राज्य सरकार द्वारा किसी भी समय प्रतिसंहत या उपांतरित किया जा सकेगा ।

अध्याय 5
लोक क्षेम और व्यवस्था

28. शिविरों, कवायदों (ड्रिल) परेडों आदि का नियंत्रण - - (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाये रखने के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी क्षेत्र में सैनिक प्रकार के ऐसे शिविरों का लगाया जाना या किसी ऐसे अभ्यास, संचलन, व्यवस्थित चालन (इवॉल्युशन) या कवायद का कराया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये हो |

(2) यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि किसी भी स्थान पर सैनिक प्रकार का कोई अप्राधिकृत अभ्यास संचालन व्यवस्थित चालन या कवायद नहीं की जाती है, राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे वर्ग के व्यक्तियों या संगठनों द्वारा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये हों, किसी शिविर के लगाये जाने, परेड, सम्मिलन, सभा किये जाने या जुलूस निकाले जाने या उसमें भाग लिये जाने को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी या उसी पर शर्तें अधिरोपित कर सकेगी ।

(3) इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश का कोई भी उल्लंघन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, या दोनों मे दण्डनीय होगा ।

29. वर्दियों (यूनिफार्म) का नियंत्रण- - (1) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसी पोशाक या परिधान की वस्तु (आर्टिकल ऑफ एपारेल) या सम्प्रतीक से, जो संघ के प्राधिकारी सशक्त बल के सदस्य या किसी पुलिस बल के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी बल के सदस्य द्वारा पहने जाने या प्रदर्शित किये जाने के लिये अपेक्षित किसी वर्दी या वर्दी के भाग या संप्रतीक से मिलता जुलता है, सार्वजनिक रूप से पहने जाने या प्रदर्शित किये जाने से लोक क्षेम, व्यवस्था बनाये रखने या शान्ति या प्रशान्ति के बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी ऐसी पोशाक या परिधान की वस्तु या सम्प्रतीक को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी पोशाक, परिधान की वस्तु या संप्रतीक के सम्बन्ध में यह समझा जायेगा कि वह सार्वजनिक रूप से पहनी गई है या जनता में प्रदर्शित की गई है यदि वह इस प्रकार पहनी या प्रदर्शित की जाती है जिससे कि वह किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान में दिखाई दे जिसमें जनता की पहुंच हो ।

(3) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

30. पथ्या (पाथ वे) सड़क आदि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की शक्ति --
(1) राज्य सरकार, लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये या जनसाधारण के हित में, आदेश द्वारा, - -

(क) किसी सड़क, पथ्या (पाथ वे) या जल मार्ग के उपयोग को;

(ख) किसी भूमि पर से किसी व्यक्ति, या पशु या यान के आने-जाने को;

तीन मास से अनधिक की ऐसी कालावधि तक के लिये जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगी ।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो बह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा ।

अध्याय 6
कतिपय स्थानों तथा क्षेत्रों तक पहुँच

31. संरक्षित स्थान - - (1) यदि राज्य सरकार जनसाधारण के हित में किसी स्थान या किसी वर्ग के स्थानों के सम्बन्ध में यह आवश्यक या समीचीन समझती है कि अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश रोकने के लिए विशेष पूर्वावधानियां बरती जानी चाहिए, तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा उस स्थान को

या यथास्थिति उस वर्ग के प्रत्येक स्थान को संरक्षित स्थान घोषित कर सकेगी, और तदुपरि, उस समय तक जब तक कि वह आदेश प्रवृत्त रहता है, यथास्थिति वह स्थान या उस वर्ग का प्रत्येक स्थान इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये संरक्षित स्थान होगा ।

(2) कोई भो व्यक्ति, राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, अनुज्ञा के बिना किसी भी संरक्षित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर से नहीं जायेगा या उसके सामीप्य में नहीं घूमेगा ।

(3) जहाँ उपन्यास (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उस पर या उसमें रहने या उस पर से जाने की अनुज्ञा दी जाती है, वहाँ वह व्यक्ति, ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय, अपने आचरण को विनियमित करने के लिए ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो उस अधिकारी द्वारा दिये जायें, जिसने कि अनुज्ञा दी है ।

(4) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में, प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाही पर, जो उसके विरुद्ध की जा सकती हों, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहाँ से हटाया जा सकेगा ।

(5) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

32. संरक्षित क्षेत्र - - (1) यदि राज्य सरकार, जनसाधारण के हित में यह आवश्यक या समीचीन समझती है कि किसी क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश को विनियमित किया जाए, तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के किन्हीं भी अन्य उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारी, ऐसे क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकेगी, और तदुपरि उस समय तक जब कि वह आदेश प्रवृत्त रहता है, ऐसा क्षेत्र इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संरक्षित क्षेत्र होगा ।

(2) ऐसी तारीख को तथा ऐसी तारीख के पश्चात् जो कि उपधारा (1) के अधीन किये गए आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय तथा किन्ही ऐसी छूटों के अध्यधीन रहते हुए जिनके लिये उक्त आदेश द्वारा उपबंध किया जाय, कोई भी व्यक्ति, जो उक्त तारीख के ठीक पूर्व, उक्त आदेश द्वारा संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किये गये क्षेत्र का निवासी नहीं था, उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा ग्यो गये लिखित अनुज्ञा-पत्र के निर्बन्धनों के अनुसार ही उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा या उसमें रहेगा अन्यथा नहीं,

(3) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करेगा या रहेगा तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर, जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हों, प्रतिकूल

प्रभाव डाले बिना, उस संरक्षित क्षेत्र में कर्त्तव्यारूढ़ किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा या उसके निदेशों के अधीन या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा वहाँ से हटाया जा सकेगा |

(4) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

33. गार्ड के साथ बल प्रयोग करना या उससे बचकर निकलना - - कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र में, - -

(क) ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल प्रयोग करके या, करने की धमकी देकर; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश या प्रयतित प्रवेश को छिपाने के लिये पूर्वावधानियाँ बरतते हुए, प्रवेश करेगा या प्रवेश करने का प्रयत्न करेगा;

वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

34. कतिपय स्थानों तथा क्षेत्रों के लिए आदेश - - (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार - -

(क) किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र के बारे में, जो उनके द्वारा संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है; या

(ख) किसी ऐसे अन्य स्थान या क्षेत्र के बारे में, जिसके कि सम्बन्ध में उसे यह आवश्यक प्रतीत होता हो विध्वंसक कार्यवाहियों को रोकने या दबाने के लिए या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदायों तथा सेवाओं को बनाये रखने के लिए विशेष पूर्वावधानियाँ बरती जाये, ऐसे स्थान या क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश को या ऐसे स्थान या क्षेत्र या उसके सामीप्य में उनके आचरण को नियंत्रित या विनियमित करने के लिये आदेश कर सकेगी ।

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी स्थान या क्षेत्र के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेशों में निम्नलिखित बातों के लिए उपबन्ध हो सकेंगे-

(क) ऐसे स्थान या क्षेत्र में व्यक्तियों के प्रवेश को निचित करने के लिये और किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आदेशों के उल्लंघन में उस स्थान या क्षेत्र में हों या जो इस अधिनियम के उपबन्धों के किसी उल्लंघन के लिये सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो, वहाँ से हटाने के लिये;

(ख) यह अपेक्षा करने के लिये कि ऐसे स्थान या क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की उपस्थिति विहित प्राधिकारी को अधिसूचित की जाये, और किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, जैसा कि इस धारा के खण्ड (क) में उल्लिखित है, यह अपेक्षा करने के लिये कि वह ऐसे स्थान या क्षेत्र में रहते समय अपने आने-जाने की रिपोर्ट दे और किसी ऐसी अन्य शर्त का अनुपालन करे जो कि विहित . प्राधिकारी द्वारा उस पर अधिरोपित की गई हो;

(ग) ऐसे स्थान या क्षेत्र के किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग से यह अपेक्षा करने के लिये कि वह पहचान के लिये ऐसी दस्तावेजी साक्ष्य अपने साथ रखें जो कि विहित की जाय; और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कोई विनिर्दिष्ट वस्तु अपने कब्जे या नियंत्रण में रखने से प्रतिषिद्ध करने के लिये ।

(3) किसी संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश द्वारा ऐके स्थान या क्षेत्र को इस अधिनियम के ऐसे समस्त उपबन्धों से या उनमें से किन्हीं भी ऐसे उपबन्धों से, जिनका कि यथास्थिति किसी संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र को या उसके सम्बन्ध में लागू होना अभिव्यक्त हो, छूट दी जा सकेगी या यह निर्दिष्ट किया जा सकेगा कि उक्त समस्त उपबन्ध या उनमें से कोई भी उपबन्ध ऐसे उपान्तरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो आदेश में निर्दिष्ट किये जायें ।

(4) किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र के सम्बन्ध में जो संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र न हो, इस धारा के अधीन किये गये आदेश द्वारा यह निर्दिष्ट किया जा सकेगा कि इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध या उनमें से कोई उपबन्ध, जिनका यथास्थिति किसी संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र को या उसके सम्बन्ध में लागू होना अभिव्यक्त हो, उस स्थान या क्षेत्र को, या उसके सम्बन्ध में,जिसके कि बारे में आदेश किया गया हो या तो उपान्तरण के बिना या ऐसे उपान्तरण के साथ लागू होगे जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये ।

(5) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

अध्याय 7
निवारक निरोध

35. कतिपय व्यक्तियों के निरोध के आदेश करने की शक्ति - - (1) राज्य सरकार या सचिव की पदश्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी का राज्य सरकार का कोई अधिकारी, जिसे उस सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए विशेष रूप से सशक्त किया गया हो, यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उसका यह समाधान हो जाय कि उसे राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के बनाये रखने पर प्रतिकूल

प्रभाव डालने से वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, या निदेशित करते हुए आदेश कर सकेगी कि व्यक्ति को निरुद्ध किया जाय ।

स्पष्टीकरण - - इस उपधारा में अभिव्यक्त "लोक व्यवस्था के बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने" के अन्तर्गत आता है कोई ऐसा कार्य जिससे - -

(एक) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) के अध्याय 16 के अधीन;

(दो) उक्त संहिता की धारा 506 या 509 के अधीन; और

(तीन) सिविल अधिकार संरक्षा अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन, दण्डनीय कोई अपराध और पूर्वोक्त अपराधों का दुष्प्रेरण गठित होता है ।

(2) उपधारा (1) में उपबंधित किये गये अनुसार समाधान हो जाने पर, निम्नलिखित अधिकारियों में से कोई अधिकारी भी उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा - -

(क) जिला मजिस्ट्रेट ;

(ख) अपर मजिस्ट्रेट, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किये गये हो ।

(3) जब इस धारा के अधीन कोई आदेश उपधारा (2) में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है तब वह उस तथ्य की रिपोर्ट राज्य सरकार को तुरन्त भेजेगा और साथ में वे आधार, जिन पर आदेश किया गया हो, और ऐसी अन्य विशिष्टियों भी, जो उसकी राय में, मामले से सम्बन्धित हों, भेजेगा और कोई ऐसा आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, बारह दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा जब तक कि इस बीच राज्य सरकपर द्वारा उसे अनुमोदित न कर दिया गया हो:

परन्तु जहाँ निरोध के आधार पर आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा निरोध की तारीख से पांच दिन के पश्चात् किन्तु दस दिन के भीतर धारा 41 के अधीन संसूचित कर दिये जाते हैं, वहाँ यह उपधारा इस उपान्तरण के साथ लागू होगी मानो कि शब्द "बारह दिन" के स्थान पर शब्द "पन्द्रह दिन" स्थापित कर दिये गये हैं ।

36. निरोध आदेशों का निष्पादन - - निरोध आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उस रीति में किया जाएगा जो गिरफ्तारी वारण्टों के निष्पादन के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) के अधीन उपबन्धित है ।

37. निरोध के स्थान तथा निरोध की शर्तो का विनियमन करने की शक्ति - - प्रत्येक व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कोई निरोध आदेश किया गया हो, - -

(क) ऐसे स्थान में और ऐसी शर्तों (जिनके अन्तर्गत भरण-पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग के लिये दण्ड भी है) के अधीन निरुद्ध किया जाने के दायित्वाधीन होगा जैसे कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें; और

(ख) राज्य सरकार के आदेश द्वारा राज्य में के एक निरोध स्थान से राज्य में के दूसरे

निरोध स्थान में हटाये जाने के दायित्वाधीन होगा ।

38. निरोध आदेशों का कतिपय आधारों पर अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील न होना - - कोई निरोध आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील नहीं होगा कि - -

(क) उसके अधीन निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति, आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी

की क्षेत्रीय अधिकारिता की सीमाओं के बाहर है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति के निरोध का सीन उक्त सीमाओं के बाहर है ।

39. फरार व्यक्तियों के सम्बन्ध में शक्तियाँ - - यदि यथास्थिति राज्य सरकार या धारा 36 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में निरोध आदेश किया गया है वह फरार हो गया है, अपने को छिपा रहा है या जिससे उस आदेश का निष्पादन नहीं हो सकता तो यथास्थिति राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी - -

(क) उस तथ्य की लिखित रिपोर्ट उस प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा जो उस स्थान पर अधिकारिता रखता हो जहाँ उक्त मामूली तौर निवास करता हो; और तब दण्ड प्रक्रिया

संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा में उसी प्रकार लागू होगे मानो कि उसे निरुद्ध करने के निदेश देने वाला आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया वारण्ट हो;

(ख) राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी के समक्ष, ऐसे स्थान पर तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, हाजिर हो; और यदि उक्त व्यक्ति ऐसे आदेश का अनुपालन करे तो जब तक वह यह साबित न कर दे कि उसके लिए सम्भव नहीं था कि वह उसका अनुपालन करे और यह कि उसने, आदेश में वर्णित अधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर, उस कारण की, जिससे उसका अनुपालन असम्भव हो गया था तथा अपने पते-ठिकाने की सूचना दे दी थी, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

40. निरोध आदेश के आधारों का उस व्यक्ति को प्रकट किया जाना जो उस आदेश से प्रभावित हुआ हो - - (1) जब कोई व्यक्ति किसी निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया गया हो तब आदेश करने वाला प्राधिकारी, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु निरोध की तारीख से मामूली तौर पर पांच दिन के भीतर तथा असाधारण परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेगे, दस दिन के भीतर, उसको वे आधार संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया हो, और उसे राज्य सरकार को उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का शीघ्रतम अवसर देगा ।

(2) उपधारा (1) में की गई कोई भी बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह ऐसे तथ्य प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझता है ।

41. सलाहकार बोर्डों का गठन - - (1) राज्य सरकार, जब भी आवश्यकता हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक सलाहकार बोर्डों का गठन करेगी ।

(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड का गठन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिशों के अनुसार होगा ।

(3) ऐसा प्रत्येक बोर्ड एक अध्यक्ष तथा दो से अन्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, और अध्यक्ष मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश होगा तथा सदस्य किसी भी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगे ।

42. सलाहकार बोर्डों को निदेश - - इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें इस अधिनियम के अधीन निरोध आदेश किया गया हो, उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर, राज्य सरकार, धारा 42 के अधीन अपने द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष वे आधार जिन पर वह अभ्यावेदन तथा उस दशा में, जब कि आदेश धारा 36 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किये गये किसी अधिकारी द्वारा किया गया हो, उस अधिकारी द्वारा उस धारा की उपधारा (3) के अधीन दी गई रिपोर्ट भी रखेगी ।

43. सलाहकार बोर्डों की प्रक्रिया - - (1) सलाहकार बोर्डे, अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार से या राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रयोजन के लिए बुलाये गये किसी व्यक्ति से या सम्बद्ध व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि वह आवश्यक समझे, मांगने के पश्चात् और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह ऐसा आवश्यक समझता हो अथवा यदि सम्बद्ध व्यक्ति यह चाहते हों कि उसे सुना जाय तो स्वयं उसको सुनने के पश्चात् राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध की तारीख से सात सप्ताह के भीतर भेजेगा ।

(2) सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के एक पृथक् भाग में उसकी राय विनिर्दिष्ट की जायेगी, कि सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं ।

(3) जब उन सदस्यों में, जिनसे सलाहकार बोर्ड गठित हुआ है, मतभेद हों, तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को बोर्ड की राय समझा जायेगा ।

(4) -इस धारा में की कोई भी बात उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया हो, इस बात का हकदार नहीं बनायेगी कि वह सलाहकार बोर्ड को किये गये निर्देश से सम्बन्धित किसी मामले में किसी विधि व्यवसायी द्वारा उपसंजात हो, सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट उसके भाग के सिवाय जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी ।

44. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्यवाही - - (1) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार

बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में किसी व्यक्ति के निरोध के लिये पर्याप्त कारण हैं, राज्य सरकार निरोध आदेश की पुष्टि कर सकेगी और सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसी कालावधि पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी जितनी कि वह ठीक समझे ।

(2) किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने यह रिपोर्ट दी हो कि उसकी राय में सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिये पर्याप्त कारण नहीं हैं, राज्य सरकार निरोध आदेश को प्रतिसंहत करेगी तथा उस व्यक्ति को तत्काल निर्मुक्त करवा देगी ।

45. निरोध की अधिकतम कालावधि - - धारा 45 के अधीन पुष्ट किये गये किसी निरोध आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिस अधिकतम कालावधि पर्यन्त निरुद्ध रखा जा सकेगा, वह निरोध की तारीख से छह मास की होगी:

परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, निरोध आदेश को पहले ही किसी समय प्रतिसंहत करने या उपान्तरित करने की राज्य सरकार की शक्ति का प्रभाव नहीं डालेगी ।

46. निरोध आदेशों का प्रतिसंहरण - - किसी निरोध आदेश के प्रतिसंहत हो जाने या उसका अवसान हो जाने के कारण, किसी भी ऐसे मामले में जिसमें कि ऐसे प्रतिसंहरण या अवसान की तारीख के पश्चात् ऐसे नए तथ्य उद्भूत हों जिनके कि आधार पर यथास्थिति राज्य सरकार या किसी अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश किया जाना चाहिए, उसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 36 के अधीन किसी नए निरोध आदेश का किया जाना वर्जित नहीं होगा ।

47. निरुद्ध व्यक्तियों की अस्थायी निर्मुक्ति - - (1) राज्य सरकार किसी भी समय यह निदेश दे सकेगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किया गया है या तो बिना शर्तों के या निदेश में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी शर्तों पर, जिन्हें ऐसा व्यक्ति प्रतिग्रहीत करे, किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए निर्मुक्त किया जाये और राज्य सरकार उसकी निर्मुक्ति को किसी भी समय रह कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को निर्मुक्त किये जाने का निदेश देते समय, राज्य सरकार उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह निदेश में विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के सम्यक् अनुपालन के हेतु प्रतिभूओं सहित या रहित एक बंधपत्र निष्पादित करे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्मुक्त किया गया कोई व्यक्ति यथास्थिति अपनी निर्मुक्ति का निदेश देने वाला या अपनी निर्मुक्ति को रद्द करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये समय तथा स्थान पर तथा उस आदेश में विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकारी के समक्ष अपने को प्रस्तुत करेगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट की गई रीति में स्वयं को प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो

सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन निर्मुक्त किया गया कोई व्यक्ति उन शर्तो में से, जो कि उक्त धारा के अधीन या उसके द्वारा निष्पादित किये गये बन्धपत्र में उस पर अधिरोपित है, किसी भी शर्त को हा नहीं करेगा तो बन्धपत्र समपहत हुआ घोषित किया जाएगा तथा उस बन्धपत्र द्वारा आबद्ध कोई व्यक्ति तत्संबंधी शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा ।

अध्याय 8
अनुपूरक

48. राज्य सरकार की शक्तियों तथा कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन - - राज्य सरकार, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि वह धारा 28 के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की और धारा 50 के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी भी ऐसी शक्ति या कर्त्तव्य का, जो इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त की गई या उस पर अधिरोपित किया गया है, प्रयोग तथा निर्वहन ऐसी शर्तो यदि कोई हों, जैसी कि उस निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, उसके अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो जिला मजिस्ट्रेट की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो ।

49. नियम - - (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेगे ।

50. अपराध करने के प्रयत्न के लिये शास्ति - - जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा या कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में अपराध किये जाने की दिशा में कोई कार्य करेगा, वह उस अपराध के लिये उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा ।

51. अपराधियों को संश्रय देने के लिये शास्ति - - जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है, जानकर मदद या सहायता देगा या संश्रय देगा या उसे छिपायेगा, वह ऐसे अपराध के लिये उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण - - इस उपधारा के प्रयोजन के लिये शब्द "संश्रय" के अन्तर्गत है किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला-बारूद या प्रवहण के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिये करना ।

52 परित्राण - - (1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिये, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किये गये किन्हीं आदेशों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई हो या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होंगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन अभिव्यक्ति रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सरकार के विरुद्ध किसी भी ऐसे नुकसान के लिये, जो किसी ऐसे बात के कारण हुआ हो या जिसका किसी ऐसी बात के कारण होना सम्भाव्य हो जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या किये गये किढ़ी आदेशों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई हो या जिसका सदभावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं होंगी ।

53. अन्य विधियों का लागू होना वर्जित नहीं होगा - - इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के अतिरिक्त होगे, उनका अल्पीकरण करने वाले नहीं ।

54. किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाने की शक्ति - - कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, यथास्थिति संरक्षित स्थान या संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले या प्रवेश चाहने वाले या उस पर या उसमें रहने वाले या छोड़ने वाले किसी व्यक्ति की तथा ऐसे व्यक्ति द्वारा उसमें लाये गये किसी यान, जलयान, पशु या वस्तु की तलाशी ले सकेगा, और तलाशी के प्रयोजन के लिये ऐसे व्यक्ति, यान, जलयान पशु या वस्तु को निरुद्ध रख सकेगा:

परन्तु इस धारा के अनुसरण में किसी स्त्री की तलाशी किसी स्त्री द्वारा ही ली जायेगी अन्यथा नहीं और यह कि ऐसी तलाशी शिष्टता का सम्यक ध्यान रखते हुए ली जायेगी ।

55. निरसन - - मध्यप्रदेश सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम, 1965 (क्रमांक 17, सन् 1965) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।